

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पत्रावली पैठा हुई। क्वीट वरि उपाधिगत। प्रतिवादी क्रमा 15 व 16 एत प्रतिवादी क्रमा 1 उपस्थित है। प्रतिवादी क्रमा 5 लगापत 14 की पर्याप्त साक्षर लेखक शाश्वत पत्रावली है। वावजूद सुचना आज अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी सं 2 लगापत 14 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अग्रह में जारी जाती है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.4.18 को पैठा है।</p> <p style="text-align: center;"><u>Om</u> 11.4.18</p>	<p>पिता जी पित</p> <p>(पत्रावली क्रमा 15 व 16)</p>
<p>24-18</p>	<p>पत्रावली पैठा हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु आज के द्वार कैम्प स्थल... राजपुरा पातलवास में मंगल दिनांक 24.05.2018 को पेश था।</p>	<p>पिता जी जीवित स्वभाव में मंडल</p>
<p>24-5/18</p>	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत व्याप आपके मार कैम्प कोर्ट राजपुरा पातलवास में पेश हुई। वार्दी व प्रतिवादी की ओर से उनके पुत्र उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास ने की है। उपस्थित मौतविरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन एवं वार्दी व प्रतिवादी को वादग्रस्त पर सुनने व उपस्थित मौतविरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने एवं लोक अदालत हेतु गति समेती के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी ख. न. 27 रुबा 1 बिस्वा, ख. न. 28 रुबा 5 बीघा 12 बिस्वा, ख. न. 58 रुबा 3 बीघा 11 बिस्वा, ख. न. 74 रुबा 6 बीघा 16 बिस्वा, ख. न. 78 रुबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख. न. 108 रुबा 16 बिस्वा, ख. न. 107 रुबा</p>	<p>जो बाबुलाल आया है</p> <p>भरे पिता जी विवेक 21 गंसे हुए गए में उममा बेरा गोपाल उपस्थित हुआ है</p> <p>गोपाल शर्मा</p> <p style="text-align: right;"> <u>गोपाल शर्मा</u> भरण धा.पं. राजपुरा-पातलवास पंचायत समिति-राजी </p>

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>बिस्वा, ख. न. 143/1 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा कुल डिग 8 कुल रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम टेकचन्दपुरा पटवार हल्का राजपुरा पातलवास तह बस्ली जिला जयपुर के संबंध में वादी ने वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित समस्त वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण वादी द्वारा चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिडी फर्चा जारी है। वादी को धुल दी जाती है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त वारिसों को शामिल कर नया वाद पेश कर सकत हैं।</p> <p>आज दिनांक 24.5.18 को यह निष्पत्ति न्याय आपके द्वारा मेज कोर्ट राजपुरा पातलवास में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>Sudh</i> 24.5.18</p>

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

बनाम

प्रतिवादी

1. भौरीलाल पुत्र बालू जाति हरि.
ब्राह्मण निवासी टेकचन्दपुरा
तह. बस्सी।

1. कैलाश पुत्र बालू
जाति हरि. ब्राह्मण निवासी ग्राम
टेकचन्दपुरा तह. बस्सी।
2. सूज्या पुत्र जगन्नाथ
3. सियाराम पुत्र स्व. रामप्रसाद
4. हंसराज पुत्र स्व. रामप्रसाद
5. विष्णु पुत्र स्व. रामप्रसाद
6. ग्यारसी बेवा स्व. रामप्रसाद
7. रामानन्द पुत्र मूलचन्द
8. मुकेश पुत्र प्रभूनारायण
9. कमलेश पुत्र प्रभूनारायण
10. योगेश पुत्र प्रभूनारायण
11. अजय पुत्र प्रभूनारायण
12. गौरा पुत्री प्रभूनारायण ना.बा.
जरिये माता सोनी देवी
13. आरती पुत्री प्रभूनारायण ना.बा.
जरिये माता सोनी देवी
14. छोटेलाल पुत्र मूलचन्द
समस्त जाति हरि. ब्राह्मण
निवासी ग्राम टेकचन्दपुरा तह.
बस्सी।
15. मुकेश कुमार जोशी पुत्र
रामजीलाल जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम बालाजी का बास
मोहनपुरा तह. बस्सी।
16. युगलेश पुत्र रामराय जाति हरि.
ब्राह्मण निवासी गोकुलपुरा
लसाडिया तह. बस्सी।
17. उपपंजीयक बस्सी।
18. राज. सरकार जरिये तहसीलदार
बस्सी तह. बस्सी।

End

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 42/17


निर्णय दिनांक 24.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 27 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 28 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 58 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 74 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 78 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 108 रकबा 16 बिस्वा, ख.नं. 107 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 143/1 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 39 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम टेकचन्दपुरा तह.बस्सी जिला जयपुर के संबंध में वादी ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित समस्त वारिसो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण वादी द्वारा चाही गई रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते हे। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी को छूट दी जाती है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में समस्त वारिसो को शामिल कर नया वाद पेश कर सकता है।.....निजी..

.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त.....
 ओहदा.....

Amal
 24.5.18
 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला जयपुर

मददई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता			महन्ता वकील		
वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा			फीस		
गवाहन			कमिश्नर		
फीस			बब त		
कमिश्नर			इजराय		
बाबत			हुक्मनामा		
इजराय			मुतफरिक		
हुक्मनामा			मीजान		
मुतफरिक					
मीजान					

नोट- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी